

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413]

भोपाल, शनिवार, दिनांक/3 सितम्बर 2011—भाद्र 12, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्र. एफ 1 (बी) 102-03-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-चार के कॉलम (2) के अनुक्रमांक 4 से 10 तक के सामने कॉलम (4) में 'पदोन्नति हेतु अनुभव' की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है.	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है.	पदोन्नति का अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के नाम	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह(पुलिस) विभाग	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	संयुक्त निदेशक (भौतिक शास्त्र)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य 4. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य	अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र)	संयुक्त निदेशक (रसायन शास्त्र)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.		1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य 4. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य.	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.
6. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.		1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य 4. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.
7. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.		1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य 4. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य 4. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.	
9. वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य 4. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.	
10. वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य 4. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.	

No. F 1 (B) 102-03-B-4-TWO.—In exercise of the powers conferred by the proviso of the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby make the following amendment in the Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1993, namely:—

AMEDMENT

In the said rules,—

In Schedule IV, against Sr. No. 4 to 10 of the Column (2) 'Experience for promotion' in column (4) for the existing entry, following entry shall be substituted, namely:—

SCHEDULE—IV
(See Rule-14)

Name of Department (1)	Name of Service or post from which promotion is to be made (2)	Name of Service or post to which promotion is to made (3)	Experience for promotion (4)	Names of Members of the Departmental promotion Committee (5)	Remarks (6)
Home (Police) Department	4. Senior Scientific Officer (Physics)	Joint Director (Physics)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/ Regional Forensic Science Laboratories, He Should also have 2 years exprience working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units during Service.	1. Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member 3. Director General Police Head of the Deptt.—Member. 4. Director, Forensic science Laboratory.—Member.	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.
	5. Senior Scientific Officer (Chemistry)	Joint Director (Chemistry)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/ Regional Forensic Science Laboratories, He Should also have 2 years exprience working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units during Service.	1. Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member 3. Director General Police Head of the Deptt.—Member. 4. Director, Forensic science Laboratory.—Member.	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Senior Scientific Officer (Biology)	Joint Director (Biology)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/ Regional Forensic Science Laboratories, He Should also have 2 years exprience working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units during Service.	1. Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member 3. Director General Police Head of the Deptt.—Member. 4. Director, Forensic science Laboratory.—Member.	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.	
7. Senior Scientific Officer	Joint Director (Training)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/ Regional Forensic Science Laboratories, He Should also have 2 years exprience working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units during Service.	1. Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member 3. Director General Police Head of the Deptt.—Member. 4. Director, Forensic science Laboratory.—Member.	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.	
8. Scientific Officer (Physics)	Senior Scientific Officer (Physics)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/ Regional Forensic Science Laboratories, alongwith minimum of 2 years exprience should be of working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units.	1. Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member 3. Director General Police Head of the Deptt.—Member. 4. Director, Forensic science Laboratory.—Member.	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Scientific Officer (Chemistry)	Senior Scientific Officer (Chemistry)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/ Regional Forensic Science Laboratories, alongwith minimum of 2 years experience should be of working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units.	1. Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member 3. Director General Police Head of the Deptt.—Member. 4. Director, Forensic science Laboratory.—Member.	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.	
10. Scientific Officer (Biology)	Senior Scientific Officer (Biology)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/ Regional Forensic Science Laboratories, alongwith minimum of 2 years experience should be of working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units.	1. Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member 3. Director General Police Head of the Deptt.—Member 4. Director, Forensic science Laboratory.—Member.	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.